

प्रेस नोट

थाना जन्सा पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व घटना से सम्बन्धित 02 अदद मोटरसाइकिल पल्सर बरामदा

दिनांक 3/4-08-2020 को थाना जन्सा के ग्राम परमन्दापुर स्थित कृष्णा मोबाइल सेन्टर में रात्रि में ताला तोड़कर 42 एन्ड्रायड मोबाइल फोन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना जन्सा पर मु0अ0सं0-0163/2020 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा घटना के अनावरण हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20/21-09-2020 को उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्तगण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अकेलवा मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र मो0 जाफर निवासी N15/291 निकट अम्बा मस्जिद बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष 2. महाजुद्दीन पुत्र अब्दुल्ला अंसारी निवासी रहीमपुर पोखरी थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष 3. जलालुद्दीन उर्फ चुनमुन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी N12/B4 G10 जक्खा बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 25 वर्ष को समय 23.30 बजे गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 08 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व दो वाहन पल्सर मोटर साइकिल संख्या:यूपी-65 डीए-6052 व यूपी-65 डीपी-7380 बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जन्सा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सलीम पुत्र मो0 जाफर निवासी N15/291 निकट अम्बा मस्जिद बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।
2. महाजुद्दीन पुत्र अब्दुल्ला अंसारी निवासी रहीमपुर पोखरी थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।
3. जलालुद्दीन उर्फ चुनमुन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी N12/B4 G10 जक्खा बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 08 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन सम्बन्धित मु0अ0सं0-0163/2020 धारा 457/380 भादवि।
- दो वाहन पल्सर मोटर साइकिल संख्या:यूपी-65 डीए-6052 व यूपी-65 डीपी-7380

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विनय तिवारी, का0 रमेश राम व का0 अवधराज यादव थाना जन्सा वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 169/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 21/2020

प्रेस नोट

थाना भेलूपुर में पंजीकृत *मु0अ0सं0 321/15 धारा-376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अमर यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी कछवा रोड मिर्जापुर हाल-पता-एन-10/17 क लखराव थाना भेलूपुर वाराणसी* में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 21.09.2020 को मा0न्या0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा *अभियुक्त अमर यादव उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए धारा 4 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रु0-5000/- के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

गैंगेस्टर के अपराधी गुड्डू यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी मोटरसाइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटरसाइकिल संख्या: यूपी-65 सीआर-9276 जिसकी कीमत लगभग रु0-40,000/- है, को धारा-14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0-262/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र कमला प्रसाद यादव निवासी लोहरापुर थाना लोहता वाराणसी एक शांतिर अपराधी है। गुड्डू यादव उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने आपराधिक कृत्यों से अपने गैंग के सदस्यों को भौतिक एवं आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु अपराध कारित करने का अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से क्रय की गई हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटरसाइकिल संख्या: यूपी-65 सीआर-9276 जिसकी कीमत आर0टी0ओ0 वाराणसी के अनुसार लगभग रु0-40,000/- है, को माननीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 21-09-2020 को थानाध्यक्ष लोहता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर व लाउडस्पीकर से घोषणा कर, उक्त मोटरसाइकिल की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास-

- 01 मु0अ0सं0-211/19 धारा-392/411 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी।
- 02 मु0अ0सं0-215/19 धारा- 307/34 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी।
- 03 मु0अ0सं0-217/19 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता वाराणसी।
- 04 मु0अ0सं0-52/19 धारा- 307/393 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी।
- 05 मु0अ0सं0-262/19 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अपराध करने में अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी रोहित मिश्रा, राकेश सिंह व मनोज राजभर जो एक नाजायज व संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित करते हैं, के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में आज दिनांक 21-09-2020 को थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अपराध करने में अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी रोहित मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभात मिश्रा निवासी गोसाईपुर छोटा थाना चोलापुर, वाराणसी (गैंग लीडर) , जो एक नाजायज व संगठित गिरोह बनाकर अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपराध करते हैं तथा अपराध से प्राप्त धन से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग इतने शातिर अपराधी हैं कि इनके डर एवं भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध सूचना एवं गवाही देने को तैयार नहीं होता है, न ही थाने पर मुकदमा दर्ज कराने का साहस करता है। इस गैंग का लीडर रोहित मिश्रा उपरोक्त है, जिसके गैंग का सक्रिय सदस्य राकेश सिंह उर्फ राका पुत्र रुद्र नारायण सिंह निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी व मनोज राजभर पुत्र लक्ष्मण राजभरज निवासी सुलेमापुर थाना चोलापुर वाराणसी है। उक्त अपराधियों द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु भा0दं0वि0 के अध्याय-17 में वर्णित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, इनका स्वतन्त्र रहना जनहित में ठीक नहीं है। आज दिनांक 21-09-2020 को जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अभियुक्तगण रोहिता मिश्रा, राकेश सिंह व मनोज राजभर के विरूद्ध थाना शिवपुर पर मु0अ0सं0 0510/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण:-

01. रोहित मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभात मिश्रा निवासी गोसाईपुर छोटा थाना चोलापुर, वाराणसी उम्र-45 वर्ष (लीडर)
02. राकेश सिंह उर्फ राका पुत्र रुद्र नारायण सिंह निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र-38 वर्ष (गैंग सदस्य)
- 03 मनोज राजभर पुत्र लक्ष्मण राजभर निवासी सुलेमापुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र-38 वर्ष (गैंग सदस्य)

***आपराधिक इतिहास*:-**

01. मु0अ0सं0 437/20 धारा-379/411/413/414 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
02. मु0अ0सं0 606/20 धारा-379/411 भादवि थाना कैण्ट, वाराणसी।
03. मु0अ0सं0 616/20 धारा-379/411/413/414 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।
04. मु0अ0सं0 0510/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवपुर वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण-

- व0उ0नि0 श्री नागेश कुमार सिंह थाना प्रभारी शिवपुर, का0 अरविन्द कुमार व का0 अभिषेक गिरी थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 172/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 21/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु निम्न सहायक पुलिस अधीक्षकों को जनपद में आगमन के फलस्वरूप निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित सर्किल/शाखा का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया गया है।

1. श्री अभिमन्यु मांगलिक- स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट वाराणसी।
2. श्री संतोष कुमार मीना- स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी चेतगंज/लाईन वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 21-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 55 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *132 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2312 वाहनों का चालान, 25 वाहनों को सीज तथा 425 वाहनों से रु0-3,66,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 21-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1164 व्यक्तियों से रु0-66,200/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।